न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 190/2024

1. हनुमानराम पुत्र भंवरूराम विश्नोई
2. अनोपाराम पुत्र बगडूराम विश्नोई
3. तेजाराम पुत्र बगडूराम विश्नोई
4. धीमाराम पुत्र बगडूराम विश्नोई
5. भवरूराम पुत्र बगडूराम विश्नोई
6. राजकुमार पुत्र बगडूराम विश्नोई
   निवापसीगण ग्राम देवलीनगर
   तहसील बाप, जिला फलोदी

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. जगमालराम पुत्र चौथाराम विश्नोई
2. सुगनाराम पुत्र चौथाराम विश्नोई
3. मूमराजराम पुत्र चौथाराम विश्नोई
4. सुखराम पुत्र चौथाराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम राणेरी, तहसील बाप
   जिला फलोदी
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 05 जून 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 495/2018 जगमालराम व अन्य बनाम तहसीलदार

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री राहुल राज, अधिवक्ता–रेस्पो.
रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 12 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 495/2018 जगमालराम व अन्य बनाम तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक

05 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का भी निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 से 4 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 ग्राम देवलीनगर स्थित आराजी खसरा संख्या 400 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 401 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा बाबत पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जून 2018 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि आराजी खसरा संख्या 400 व 401 के पडौस में स्थित भूमि खसरा संख्या 403 व 404 के अपीलाण्ट्स अभिलिखित खातेदारान है, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जबकि खेत पडौसी होने के आधार पर अपीलाण्ट्स आलौच्य मामले में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश बाबत दिनंक 20 जून 2024 को रेस्पो. संख्या एक मौके ने मौके पर आकर बताया और बेदखल करने की धमकी दी, तो अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन आदेश बाबत भान हुआ और विचारण न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की नकलें आदि प्राप्त कर बाद आवश्यक कार्यवाही जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा मे प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। स्वयं प्रार्थीगण–रेस्पो. के अनुसार पक्की नेखमबंदी के अभाव में मौके पर विवाद है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स (जो खसरा संख्या 403 व 404 के रिकार्डेड खातेदार होकर प्रार्थीगण–रेस्पो. के खेत पडौसी है), को आलौच्य मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना व तरमीम के अभाव में

विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और अपील अपीलाण्ट्स सारहीन एवं मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि आलौच्य मामले में आराजी खसरा संख्या 400 व 401 के पडौस में स्थित भूमि खसरा संख्या 403 व 404 के अपीलाण्ट्स अभिलिखित खातेदारान है, और खेत पडौसी होने के आधार पर अपीलाण्ट्स आलौच्य मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाने का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के मूलभूति सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। मगर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिससे विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये और अपीलाधीन निर्णय बाबत भी उन्हें समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण–रेस्पो. स्वयं ने पक्की नेखमबंदी के अभाव पर मौके पर विवाद होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स, जो कि खसरा संख्या 403 व 404 के रिकार्डेड खातेदार होकर प्रार्थीगण–रेस्पो. के खेत पडौसी है, को आलौच्य मामले में पक्षकार संयोजित कर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जून 2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय

पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर नये सिरे से मामले का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अ.सि.रा. 12.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर